उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा। कमाल खां व गौर खा व चाद खा पिता जमाल खा के नाम जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2028 से 2047 तक मे हाल ख.न. 59 रकबा 2 बिस्वा, ख.न. 131 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 132 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख.न. 239 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, ख.न. 240 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, अंकित है। जिसमे तीनो बहिस्सा बराबर काश्तकार एव खातेदार है। उक्त खसरा नंबरो के साबित ख.न. 866 मिन , ख.न. 863 मिन, मिन 833, ख.न. 409 मिन, ख.न. 409 मिन , ख.न. 410 मिन कुल रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा थ। उक्त खसरा नबरो को सम्पूर्ण एक साथ विक्रय कर सकते थे। सहखातेदार एक खसरा नबर सम्पूर्ण का विक्रय नही कर सकता है। तथाकथित विक्रय पत्र के संबध मे सहखातेदारो के जीवन काल मे कोइ कार्यवाही नही की गई। वादी का वाद मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। साबिक नंबर व हाल नंबर भी मिलान क्षेत्रफल से मेल नही खाते है। चांद खां लाओलाद फोत होने के कारण उसके हिस्से की आराजी के कमाल खां व गौरे खां मालिक व खातदार थे । गौरे खां व कमाल खां की मृत्यु के बाद उनके वारिसान उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी ने शिजरा पेश नही किया है। प्रतिवादी सं0 6 काले खां पुत्र गौरे खां का नाम दाव मे वादी ने अंकित किया है। जबकि गौरे खां के काले खां नाम का कोइ पुत्र नही था। गलत तथ्यों के आधार पर पक्षकार बनाया गया ह। वादी को पता है कि सुलेमान गौरे खां का पुत्र है लेकिन सुलेमान को पक्षकार नही बनाया गया है। राजस्व रिकार्ड मे कमाल खा व गौर खा के वारिसान के नाम दर्ज हो चुके है। अशरफ पुत्र गौरे खां हिस्सा 1/10, असगरी पुत्री गौर खां हिस्सा 1/10, उसमान पुत्र सुलेमान हिस्सा 1/100, आशिफ पुत्र हसनदीन, शहनाज पुत्र हसनदीन हिस्सा 1/25, का नाम हाल जमाबंदी संवत 2070—2073 मे अंकित है। शेष वारिसान ने दीना पुत्र मुंशी खां हिस्सा 3/8, मुर्तजा सुमेर सिद्धीकी पुत्र मुजीबुर्रहमान हिस्सा 3/8 का विक्रय कर क्रेतागण को कब्जा करा दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र को पहले वादी को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने के बाद ही वाद प्रस्तुत करन चाहिए । कई खातेदारो की मृत्यु हो चुकी है उनके स्थान पर उनके वारिसानो के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त दोनो खसरा नंबरो के अतिरिक्त ख.न. 59, 239, 240, 250 का अंकन भी जमाबंदी मे हो रखा है जिसे न्यायालय से छुपाया गया है। वाद निरस्त योग्य है।

प्रकरण के प्रक्रियाधीन रहते हुए प्रतिवादी 5 का देहान्त होने के कारण वादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया गया। इस निर्णय की अपील वादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष करने के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली चाही गई। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय पश्चात मूल पत्रावली 2000 रूपये की कॉस्ट के साथ स्वीकार कर, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुई।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे मृत्यु प्रमाण पत्र—उस्मान, जमाबंदी संवत 2033—36, मिलान क्षेत्रफल, विक्रय पत्र, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी वर्ष 2006, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 3 की मृत्यु होने के कारण कायम मुकाम प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्याय हित मे स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0 3 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार ख.न. 131 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 132 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, किता—2, रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम फारूखाबाद के संबध मे कोई विवाद नही है। उक्त भूमि वर्तमान मे दीना पुत्र. मुंशी खां जाति मुसलमान निवासी झाडोली तहसील व जिला अलवर व मुर्तजा सुमेर सिददकी पुत्र श्री मुजीबुर्रहमान जाति मुसलमान निवासी गली मौलाबक्ष रजबन आंक वादीगण के नाम लगवाने के लिए सहमत है। उक्त वर्णित भूमि रहमान खा पुत्र जस्सू खां की दिनांक 12.7.1974 को पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की हुइ थी। जिस पर वह खरीद की दिनांक से मरने तक काबिज था। रहमान खां का देहान्त होने के बाद उसके वारिसान उक्त भूमि पर काबिज है। वर्तमान खातेदारो के पक्ष मे पूर्व विक्रेताओं के वारिसान ने गलत रूप से विक्रय पत्र करवा दिया था। इस कारण अब विवाद खत्म होने पर आपस मे राजीनामा हो गया है। वादीगण के नाम खातेदारी करवाने मे प्रतिवादीगण सहमत है। राजीनामे मे दोनो पक्ष तथा वारिसान पाबन्द रहेंगें। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री

[illegible] किया जावे और उक्त विवादित भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी में अंकित कर दिया जावे।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण 1, 2 व 4 ने [illegible] बहस प्रस्तुत की। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। उभय पक्ष की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने साक्ष्य एवं दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण मे प्रस्तुत वाद पत्र के जवाब मे पूर्ण रूप से वाद पत्र का खण्डन किया गया तथा तथाकथित बेचान को भी अस्वीकार किया गया । विवादित भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण उत्तरदाता का होना अंकित किया गया साथ ही यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि पूर्व खातेदारो के वारिसान ने अन्य को बेचान कर दी है लेकिन अपने जवाब की पुष्टि मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया । पत्रावली पर कोई बेचान नामा उपलब्ध नही है। [illegible] पर वादीगण के तथ्यो की भी पुष्टि नही होती है जब बेचान नामा 1974 मे हो चुका था तो वादीगण ने 2006 मे वाद पत्र क्यो इतनी देरी से प्रस्तुत किया। वाद पत्र को उक्त देरी हेतु कोई ठोस कारण प्रस्तुत नही किया गया है। वाद पत्र के जवाब मे तो प्रतिवादीगण द्वारा सभी तथ्यो का खण्डन किया लेकिन राजीनामे मे सभी तथ्यो पर सहमति दर्शाई गई है पूर्व मे कब्जे के तथ्य को नकारा गया लेकिन राजीनामे मे कब्जे के तथ्यो को भी स्वीकारा गया। इस प्रकार विरोधाभाष तथ्य वाद पत्र मे संशय उत्पन्न करते है। उक्त विवादित भूमि मे कई सहखातेदार है लेकिन ना तो वाद पत्र वे सभी पक्षकार है और ना ही राजीनामे मे सभी सहखातेदारो के हस्ताक्षर है। चूंकि 1974 से लेकर आज तक जमाबंदी कई रोटेशन से गुजर चुकी है, कई खातेदारो की मृत्यु हो चुकी है, भूमि के संबध मे कई बेचान हो चुके है जिसके श्रृंखलाबद्ध दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पत्रावली पर मात्र विक्रय पत्र उपलब्ध है जिसमे अंकित गवाहो की भी मृत्यु हो चुकी है। यदि उक्त विक्रय पत्र को मान लिया भी जावे तो कब्जे बाबत कोई गिरदावरी पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे साबित हो कि क्रय करने के बाद लगातार वादीगण उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। जब उक्त भूमि का तथाकथित प्रथम बेचान हुआ तब भूमि तीन खातेदारो कमाल खां , गोरे खां व चांद खां की खातेदारी मे थी अर्थात तीनो सहखातेदार थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार सभी खातेदारो का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर कब्जा माना जाता है। चूंकि तब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ था। अतः सभी खातेदारो का प्रत्येक खसरे पर समान रूप से अधिकार था तो एक खातेदार सम्पूर्ण खसरे का बेचान किस प्रकार कर सकता है। यह एक महत्व का बिन्दु है। बेचान के बाद केता ने कब्जा संभाला था तो उसकी पुष्टि मे दस्तावेज क्या प्रस्तुत नही किये गये और अपने पक्ष मे नामान्तरकरण क्यो तस्दीक नही करवाया गया। बेचान वर्ष 1974 से वाद दायर करने के वर्ष 2006 के बीच का काफी लम्बा समय है। इतने विलम्ब के लिए न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को संतुष्ट किया जाना था जो वादीगण द्वारा नही किया गया। उक्त अवधि के बीच हुए रजिस्टर्ड बेचानो को वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय मे चुनौति क्यो नही दी गई। चूंकि पहले ही वाद पत्र के किसी भी तथ्य की पुष्टि नही होने से वाद स्वीकार योग्य नही है और इसी बीच पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा जो कि पूर्व मे प्रस्तुत किये गये जवाब से विरोधाभाषी है, को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उक्त राजीनामा वादीगण द्वारा भूमि प्राप्त करने पर मात्र स्टाम्प ड्युटि बचाने का प्रयास प्रतीत होता है। प्रस्तुत किया गया राजीनामा भी विधि सम्मत नही है जिसे न्यायालय साक्ष्य के रूप मे ग्राह्य कर सके। विवादित भूमि के संबंध मे प्रस्तुत राजीनामे की [illegible] सभी वादपत्र में अंकित पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष सहमति अंकित नही की गई है और ना ही सभी वादपत्र में अंकित पक्षकारों के हस्ताक्षर राजीनामे पर अंकित है। इस प्रकार [illegible] राजीनामा जो मात्र स्टाम्प ड्युटि बचाने के उदेश्य से प्रस्तुत किया गया है, विभागीय [illegible] के प्रति न्यायातीत प्रतीत नही होता है साथ ही इससे राजकोष की हानि की भी संभावना है [illegible] न्यायालय वाद पत्र एवं राजीनामा स्वीकार करना उचित नही समझता है।

आदेश

फलस्वरूप वाद, वादीगण, वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं [illegible] निषधाज्ञा आराजी ख.न. 131 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 132 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, [illegible]-2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम फारूखाबाद , तहसील टोंक साक्ष्य दस्तावेजो के अभाव

मे सारहीन व भारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 19/3/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ruby Ansar

(रूबी अंसार)

सहायक कलेक्टर, मुख्यालय, टोंक

मुख्यालय टोंक